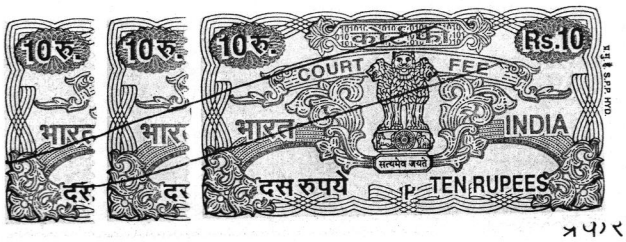

प्रकरण क्र. 765 पी.बी.आर./2014

आदेश दिनांक 26/03/2014

प्रस्तुती दिनांक 16/07/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय, म.प्र. ग्वालियर

केम्प इन्दौर

रिव्यू 2271-PBR/14

भगवानदास पिता श्री खुमानलाल जोशी
निवासी – 92/3, संविदनगर, इन्दौर
जिला इन्दौर व अन्य ....प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्री राजेन्द्र सेन पिता श्री मेघराज मेहता,
निवासी – 121, रविन्द्र नगर, पलासिया, इन्दौर
जिला इन्दौर एवं अन्य .....प्रतिप्रार्थीगण

श्री डी.आर. व्यास अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 16-7-14 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत
Sign 16.7.14

सम्माननीय महोदय,

आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

सदर प्रकरण 765 पी.बी.आर./2014 में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेशिका आदेश दिनांक 26.03.2014 के पुर्नविलोकन हेतु

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2271–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–1–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26–3–2014 का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में	

आ०वा०सं० ५१५/२०१३

R-02-2271-P001/14 (S3.5)

त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप्र. सिंह)

अध्यक्ष